तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00227) बअनवान किशनलाल बनाम गंगा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

किशनलाल

बनाम

गंगा इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 01 अप्रैल 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2011 अनवान गंगा बनाम किशनलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के खरीद की हुई है तथा बाद खरीद के ही अपीलार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। मौके पर अपीलांट की ढाणी व टांका बने हुए है तथा ट्यूबवेल खुदवाकर कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा तारबन्दी की गई है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये हक प्राप्त किया है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना किसी तरह का कोई अधिकार प्रत्यर्थी सख्या 1 को उत्पन्न नही होता है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है। अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार व काबिज होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिनाा आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी संख्या 1 पुलिस के साथ आई तथा अपीलार्थी को कृषि कार्य करने से रोकने लगी तथा कहा कि उसके पास स्थगन आदेश है, तब अपीलार्थी द्वारा पता किया गया व दिनाक 09.07.2018 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल तैयार होकर दिनाक 09.07.2018 को प्राप्त हुई, जिसे पढ़ने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00227) बअनवान किशनलाल बनाम गंगा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2018 को निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणागुण पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलार्थी विवादग्रस्त आराजी खसरा न 231 रकबा 58.07 बीघा में रूपये 48 के बेचान दस्तावेज के जरिये खरीददार है तथा उक्त बेचान दस्तावेज की पालना में नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 27.01.1960 के जरिये वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हुई है। कानूनन इतनी लंबी अवधि पश्चात प्रस्तुत दावे में रेकर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जहां तक वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी आधार पर वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, विचारण न्यायालय में जरिये साक्ष्य तय होने है। इसलिए मामले की वर्तमान परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थी के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00227) बअनवान किशनलाल बनाम गंगा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2018 को अपास्त किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर